रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं . 710] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 2015/चैत्र 16, 1937
No. 710] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2015/CHAITRA 16, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

का.आ. 935(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए केरल तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) नामक एक प्राधिकरण का गठन करती है, अर्थात् :-

1.	प्रधान सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, केरल सरकार, केरल	-	अध्यक्ष, पदेन
2.	प्रधान सचिव, स्थानीय स्वशासन, केरल सरकार या उसके नामनिर्देशिती ।	-	सदस्य, पदेन ।
3.	सचिव, पर्यावरण विभाग, केरल सरकार या उसके नामनिर्देशिती ।	-	सदस्य, पदेन ।
4.	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार या उसके नामनिर्देशिती ।	-	सदस्य, पदेन ।
5.	प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, केरल सरकार या उसके नामनिर्देशिती ।	-	सदस्य, पदेन ।
6.	सचिव, मत्स्य विभाग, केरल सरकार या उसके नामनिर्देशिती ।	-	सदस्य, पदेन ।
7.	अध्यक्ष, केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केरल सरकार	-	सदस्य, पदेन ।
8.	निदेशक, भू-विज्ञान अध्ययन, तिरुवनंतपुरम	-	सदस्य, पदेन केन्द्र ।
9.	डॉ. के. पदमाकुमार, प्रोफेसर, एक्वेटिक बायोलोजी, यूनिवर्सिटी आफ केरला, तिरुवनंतपुरम	-	सदस्य

10.	डॉ. ए. रामाचंद्रन, प्रोफेसर एंड डायरेक्टर इंडस्ट्रियल फिसरिज, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टैक्नोलोजी, कोची, केरल	-	सदस्य,
11.	श्री बॉबी जोन, मलाबार कोस्टल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड एक्शन (एम सी आई टी आर ए), एम कनारन रोड, कोजिकोडे, केरल	-	सदस्य
12.	सदस्य सचिव, केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस, टैक्नोलोजी एंड इंवायरमेंट, केरल	-	सदस्य सचिव, पदेन ।

II. प्राधिकरण और उसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में स्थित होगा ।

III. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणमूर्ति उसके सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ।

IV. पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य को केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए विनिश्चय के मानदंडों के अनुसार भत्ते संदत्त किए जाएंगे ।

V. प्राधिकरण, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित और उसमें सुधार करने, केरल राज्य के तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के उपशमन और नियंत्रण करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :-

(i) यदि प्राधिकरण को प्रस्ताव योजना के अनुमोदन के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है तो वह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसार उसका परीक्षण करेगा और भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के तटीय विनियमन जोन का अनुपालन करेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट संबद्ध प्राधिकरण से ऐसे परियोजना के अनुमोदन के लिए सिफारिशें करेगा ।

(ii) प्राधिकरण उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तटीय विनियमन क्षेत्रों के सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा ।

(iii) प्राधिकरण उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन करने या मानीटर करने के लिए मुख्यतया उत्तरदायी होगा ।

(iv) प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों का वर्गीकरण और तटीय जोन प्रबंध योजना में परिवर्तनों या उपांतरणों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा और उसके पश्चात् उस पर राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण से विनिर्दिष्ट सिफारिशें करेगा ।

(v) प्राधिकरण -

(क) उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अभिकथित उल्लंघन की दशा में जांच करेगा और यदि आवश्यक प्रतीत हो तो ऐसे किसी विनिर्दिष्ट मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन ऐसे निदेश जारी करेगा जो कि न तो राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या न ही केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों से असंगत हों;

(ख) उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के उल्लंघनों में अंतर्ग्रस्त मामलों का पुनर्विलोकन करेगा और यदि आवश्यक प्रतीत हो तो राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा पुनर्विलोकन करने के लिए अपनी टिप्पणियों के साथ ऐसे मामलों को निर्दिष्ट करेगा :

परंतु यह कि प्राधिकरण उल्लंघनों के मामलों की ऐसी जांच या पुनर्विलोकन स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या प्रतिनिधि निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर करेगा;

(vi) प्राधिकरण, उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के किसी व्यक्ति के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करेगा ;

(vii) प्राधिकरण, ऐसी कार्रवाई करेगा जो किसी मामले में उसके समक्ष तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन अपेक्षित हो ।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय विवाधकों का निपटारा करेगा जिसे राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा उसे विनिर्दिष्ट किया गया हो;

VII. प्राधिकरण, अपने कार्यकरण में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और वेबसाइट पर कार्यसूची, कार्यवृत्त किए गए विनिश्चय, अभ्यावेदन पत्र, उल्लंघन और ऐसे उल्लंघनों पर की गई कार्रवाई, न्यायालय मामले जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश भी हैं और राज्य सरकार के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना को डालेगा ।

VIII. राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण अपने क्रियाकलाप की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

IX. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य, केंद्रीय सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

[फा. सं. जे- 17011/26/2007-आईए-III (भाग)]

बिश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2015

S.O. 935(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Kerala Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of one year, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely: -

1.	Principal Secretary, Science and Technology Department, Government of Kerala, Kerala.	Chairman, ex-officio
2.	Principal Secretary, Local Self Government, Government of Kerala, or his nominee.	Member, ex-officio
3.	Secretary, Environment Department, Government of Kerala or his nominee.	Member, ex-officio
4.	Principal Secretary, Industries Department, Government of Kerala or his nominee.	Member, ex-officio
5.	Principal Secretary, Revenue Department, Government of Kerala or his nominee.	Member, ex-officio
6.	Secretary, Fisheries Department, Government of Kerala or his nominee.	Member,ex-officio
7.	Chairman, Kerala State Pollution Control Board, Government of Kerala.	Member, ex-officio
8.	Director, for Earth Science Studies, Thiruvananthapuram.	Member,ex-officio Centre
9.	Dr. K. Padmakumar, Professor, Aqatic Biology, University of Kerala, Thiruvananthapuram	Member

IndiaCode

10.	Dr. A Ramachandran, Professor and Director Industrial Fisheries, Cochin University of Science And Technology, Kochi, Kerala	Member
11.	Sri Baby John, Malabar Coastal Institute for Training Research and Action (MCITRA), M. Kanaran Road, Kozhikode, Kerala	Member
12.	Member Secretary, Kerala State Council for Science, Technology and Environment, Kerala.	Member Secretary, ex-officio

II. The Authority shall have its headquarters at Thiruvananthapuram.

III. The quorum of the meeting of the authority shall be one-third of the total number of its Members.

IV. A Member, other than an ex-officio Member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

V. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Kerala, shall take the following measures, namely:-

(i) the Authority shall receive application for approval of project proposal and examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and complies with the requirement of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011(herein after referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority as specified in the said notification, within a period of sixty days from date of receipt of such application;

(ii) the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) the Authority shall primarily be responsible for enforcing and monitoring the provisions of said notification;

(iv) the Authority shall examine the proposals received from the State Government for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority therefore.

(v) the Authority shall-

(a) inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary, in any specific case, issue such direction under section 5 of the said Act as are not inconsistent with the directions issued in that specific case either by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) hold review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made there under, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, refer such cases, along with its comments for review by the National Coastal Zone Management Authority:

IndiaCode

Provided that such inquiry or review of cases of violations may be taken up by the Authority suo-moto, or on the basis of a complaint made by any individual or representative body or organization;

(vi) the Authority may file complaints, under section 19 of the said Act, against any person for non-compliance of directions issued by it;

(vii) the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act to verify the facts before it in any case.

VI. the Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

VII. the Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its working create a dedicated website and post the agenda, minutes, decisions taken, recommendation letters, acts of violations and actions taken on such violations, court matters including the orders of the courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.

VIII. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

IX. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

IndiaCode

[F.No.J-17011/26/2007-IA-III(Pt.)]

BHISWANATH SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.